न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 22/2025 **दायर दिनांकः 03.02.2025**

उनवान

1. बद्रीलाल आयु 60 वर्ष पुत्र गंगाराम जाति धाकड़ निवासी करजुना तह. अटरू जिला बारां (राज.) मो. 9928299093

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादीगण :— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर
प्रतिवादी :— पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 26.05.2025

वादी ने यह दावा अर्न्तगत धारा 88, 89, 91 आर0 टी0 एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम/माल काचरा तहसील अटरू में खाता संख्या 130 के खसरा नं. 128 का रकबा 0.97 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.97 हैक्टर आराजी वादी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। नक़ल जमाबन्दी सम्वत 2074—2077 वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नं. 89 का रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा थी जो कि खातेदार राधाकिशन व मोहनलाल के दर्ज खाता थी, वादी ने जर्ये वली पिता उक्त आराजी खातेदारान राधाकिशन व मोहनलाल से क्रय कर सब रजिस्ट्रार अटरू के कार्यालय में दिनांक 08/06/1982 को पंजीयन करवाया था, वक़्त पंजीयन विक्रय विलेख/बयनामा में वादी का नाम बद्रीलाल पुत्र गंगाराम के स्थान पर डीडराईटर ने त्रुटिवश बद्रीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण लिख दिया। जिसके आधार पर ही नामान्तरण दर्ज करते वक़्त वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बद्रीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण दर्ज हो गया । नकल मिलान क्षेत्रफल व नकल विक्रय विलेख/बयनामा वाद पत्र के साथ संलग्न है हो काबिल गौर है। यह कि वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में वादी के

पिता का नाम लक्ष्मीनारायण दर्ज हो रहा है जबकि वादी के पिता का सही व वास्तविक नाम गंगाराम है। वादी के दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि में वादी के पिता का सही नाम गंगाराम दर्ज है। वादी के उक्त समस्त दस्तावेजात की प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है जो काबिल गौर है। नक़ल जमाबन्दी व वादी के दस्तावेजों में वादी के पिता का नाम भिन्न भिन्न होने से वादी को कृषि सम्बंधित सुविधाये लेने व कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने आदि में कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है तथा भूमि का विकास भी नहीं करवा पा रहा है तथा अन्य कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। वादी ने खाते में गलत अंकित हो रहे नाम को दुरुस्त करने बाबत् तहसीलदार साहब से दिनांक 02/01/2025 को निवेदन किया तो उन्होंने सक्षम न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत दी। इस कारण माननीय न्यायालय में यह वाद पेश किया जा रहा है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को 80 CPC का नोटिस प्रेषित किया जाना आज्ञापक है परन्तु मामला आवश्यक प्रकृति का होने से 80 (2) CPC का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय की इजाज़त से वाद पेश है। बिना सहायता न्यायालय राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम दुरुस्त करवाया जाना संभव नहीं है। अस्तु माननीय न्यायालय में यह वाद प्रस्तुत है। वाद कारण दिनांक 02/01/2025 को वादी द्वारा नाम दुरुस्ती का श्रीमान तहसीलदार साहब से निवेदन करने पर उनके द्वारा माननीय न्यायालय में वाद पेश करने की हिदायत देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में बमुकाम उत्पन्न हुआ। वादग्रस्त आराजी काचरा तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है ।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादी इस आशय की डिक्री पारित की जावे किः–

(अ) वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में वादी को बद्रीलाल पुत्र गंगाराम खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

(ब) वाद पत्र की मद न. 1 में वर्णित आराजी में वादी के पिता के नाम को दुरुस्त करते हुए बद्रीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान पर बद्रीलाल पुत्र गंगाराम का अंकन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी को प्रदान किये जाने की कृपा करें ।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को दिलाई जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। तहसीलदार अटरू से वाद के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/1333 दिनांक 05.05.2025 से पेश की गई जो शामिल पत्रावली की गई।

साक्ष्यवादी के तहत शपथ पत्र Pw1 बद्रीलाल पुत्र गंगाराम जाति धाकड निवासी करजूना, Pw2 रामदयाल पुत्र द्वारकालाल जाति धाकड निवासी करजूना, Pw3 सलोचना पुत्री गंगाराम जाति धाकड निवासी करजूना, Pw4 हीरालाल पुत्र बालाबक्श जाति धाकड निवासी करजूना, Pw5 लक्ष्मीनारायण पुत्र मथुरालाल जाति धाकड निवासी काचरा, Pw6 रामचन्द्र पुत्र मथुरालाल जाति धाकड निवासी काचरी तहसील अटरू के शपथ पत्र पेश किए गए तथा Pw1 से Pw4 के सशपथ बयान लेखबद्व किए गए।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर दस्तावेजों नकल जमाबन्दी ग्राम व माल काचरा खाता संख्या 130 सम्वत 2074–2077 (प्रदर्श–P1), नकल मिलान क्षेत्रफल ग्राम काचरा (प्रदर्श–P2), नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 07.06.1982 (प्रदर्श–P3A), मतदाता पहचान पत्र (प्रदर्श–P4A), पेन कार्ड (प्रदर्श–P5A), जन आधार कार्ड, आधार कार्ड (प्रदर्श–P6A), परिवार राशन कार्ड (प्रदर्श–P7A), मृत्यु प्रमाण पत्र व ग्राम पंचायत मेरमाचाह प्रमाण पत्र (प्रदर्श–P8) का अवलोकन किया गया।

तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट स्पष्ट नही होने से पुनः तहसीलदार अटरू से कब्जे काश्त के संबंध में मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा पत्रांक/राजस्व/2025/1662 दिनांक 16.05.2025 से रिपोर्ट पेश की गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट अनुसार ग्राम व माल काचरी के ख0नं0 128 का रकबा 0.97 है0 आराजी पर वादी ब्रदीलाल पुत्र गंगाराम जाति धाकड निवासी करजूना का कब्जा काश्त हे।

जमाबन्दी ग्राम काचरा पटवार हल्का मेरमाचाह सम्वत 2074–2077 खाता संख्या 130 के ख0 नं0 128 का रकबा 0.97 है0 में बद्रीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हिस्सा पूर्ण जाति धाकड खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है।

ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र (प्रदर्श–P8) के अनुसार वादी का सही नाम बद्रीलाल पुत्र गंगाराम है तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम काचरा के ख0नं0 128 पर बद्रीलाल पुत्र गंगाराम जाति धाकड निवासी करजूना का कब्जा है तथा साक्ष्यवादी Pw1 बद्रीलाल पुत्र गंगाराम जाति धाकड निवासी करजूना, Pw2 रामदयाल पुत्र द्वारकालाल जाति धाकड निवासी करजूना, Pw3 सलोचना पुत्री गंगाराम जाति धाकड निवासी करजूना, Pw4 हीरालाल पुत्र बालाबक्श जाति धाकड निवासी करजूना, Pw5 लक्ष्मीनारायण पुत्र मथुरालाल जाति धाकड निवासी काचरा, Pw6 रामचन्द्र पुत्र मथुरालाल जाति धाकड निवासी काचरी तहसील अटरू ने वादी का सही नाम बद्रीलाल पुत्र गंगाराम होना बताया है। विवादित आराजी ग्राम व माल काचरा के खाता संख्या 130 के ख0नं0 128 का रकबा 0.97 है0 का पूर्ण हिस्सा वादी के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण, साक्ष्य गवाहों, दस्तावेजों के अवलोकन व रिपोर्ट तहसीलदार के अवलोकन के आधार पर ग्राम व माल काचरा तहसील अटरू में खाता संख्या 130 के खसरा न. 128 का रकबा 0.97 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.97 हैक्टर आराजी में खातेदार ब्रदीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान पर ब्रदीलाल पुत्र गंगाराम उर्फ लक्ष्मीनारायण किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपलब्ध रिकार्ड/दस्तावेजों के आधार पर वादी का वादपत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम व माल काचरा तहसील अटरू में खाता संख्या 130 के खसरा न. 128 का रकबा 0.97 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.97 हैक्टर आराजी में खातेदार ब्रदीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान पर ब्रदीलाल पुत्र गंगाराम उर्फ लक्ष्मीनारायण दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 22/2025 **दायर दिनांकः 03.02.2025**

उनवान

1. बद्रीलाल आयु 60 वर्ष पुत्र गंगाराम जाति धाकड़ निवासी करजुना तह. अटरू जिला बारां (राज.)

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादीः— विद्वान अभिभाषक श्री महावीर प्रसाद नागर

मिनजानित मुदई रूबरू ....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम व माल काचरा तहसील अटरू में खाता संख्या 130 के खसरा न. 128 का रकबा 0.97 है0 कुल किता 1 का रकबा 0.97 हैक्टर आराजी में खातेदार ब्रदीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण के स्थान पर ब्रदीलाल पुत्र गंगाराम उर्फ लक्ष्मीनारायण दर्ज करने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करें।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....ग..................... मुबालिक ....ग................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......ग.............................. .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....ग.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 26.05.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)